

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)  
अधिघोषणा

सं० ..... डी0एल0ए0 समस्तीपुर

दिनांक .....

रा० हूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - हरपुर गिण्डी चादर नं०-2, परगना सरैसा, थाना ... समस्तीपुर, थाना नं० 273, जिला - समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रा०उ० पथ सं०-31 के प्रस्तावित बाईपास में करजान गाँव से रा०उ० पथ सं०-28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर प्रस्तावित 4-लेन पुल एवं 4-लेन पहुँच पथ के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम हरपुर गिण्डी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम वो वेश 35.695 एकड़ के बराबर है जिसका खेसरा सं० अंश 1754,1374,1375,1376,1753,1752,1751,1750,1377,1378,1379,1745,1390,1744,1743,1742, 1741, 1388,1389,1395,1387,1386,1396,1397,1398,1407,1406,1402,1401,1400,1425,1424,1427,1449,1450,1451, 1448,1436, 1437,1444,1447,1452,1454,1453,1455,1716,1443,1718,1719,1715,1714,1712,1710,1709,1708,1840,1841, 1706,1705,1695,1694,1693,1692,1680,1842,1679,1678,1677,1843,1841,1846,1987,1988,1986,1940,1939,1925,1924,1926, 1923,1921,1930,1931,1932,1933,2243,1919,2242,2238,2241,2239,2264,2265,2267,2269,2270,2272,2285,2273,2274,2275, 2276,2277,2534, 2496,2498,2499,2502,2492,2489,2486,2485,2487,2490,2798,2599, 2484,2585,2587,2588,2602, 2604,2616,2611,2605,2610,2680 एवं पूर्ण खेसरा संख्या - 1391,1392,1393,1394,1399,1426, 1445,1446,1717,1711,1707,1927,1928,1929,2240,2266,2269,2533,2497,2500,2501,2491,2586,2603,2607,2608,2609। तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :

उत्तर :- सीमा रेखा ग्राम मोरवा।

पूर्व :- अंश खेसरा सं०- 1754,1753,1752,1751,1750,1745,1744,1743,1742,1741,1395,1396,1397,1398,1400,1426,1427, 1449,1448,1436,1437,1444,1443,1718,1719,1709,1708,1840,1841,1842,1846,1987,1924,1926,1923,1921,1919,2243, 2242,2241,2239,2238,2264,2265,2267,2285,2273,2274,2275,2276,2498,2499,2502,2489,2490,2487,2485, 2484, 2798,2587,2588,2599,2602,2605,2680 एवं पूर्ण खेसरा संख्या - 1438,1428,1720,1845,1920,2278,2531, 2532,2503,2504।

दक्षिण :- मिलान चादर नं० - 3।

पश्चिम :- अंश खेसरा सं०- 1754,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1390,1389,1386,1408,1407,1406,1402,1424,1449, 1450,1451,1453,1454,1455,1716,1715,1714,1712,1706,1705,1694,1695,1693,1692,1680,1679,1678,1677,1843, 1841,1846,1987,1988,1986,1940,1939,1925,1930,1931,1933,2238,2279,2270,2272,2273,2274,2275,2276,2277, 2534,2496,2492,2798,2599,2585,2404,2616,2611,2610,2280 एवं पूर्ण खेसरा संख्या - 1409,1460,1478,1713,1936,1985,2494,2612।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जायेंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यापाल की आदेश से

जिला भू अर्जन पदा०,  
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता,  
समस्तीपुर।

समाहर्ता,  
समस्तीपुर।

सरकार के सचिव

ज्ञापक 15/डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक 15/12/2012

प्रतिलिपि :- जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर को भी भेज दें।

अनु० :- यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापक ...../डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक .....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना जन संपर्क विभाग, पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस क्लब जिला भू-अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को भेज दें।

अनु० :- यथोक्त।

सरकार के सचिव